संख्या– /XXXVI(2)/25/04(बजट)/2020

प्रेषक,

सुधीर कुमार सिंह,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक फरवरी, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रथम अनुपूरक अनुदान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं लोक अदालत हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से संलग्न परिशिष्ट–क पर अंकित तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु रू0 2,00,000/–, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु रू0 10,00,000/– एवं लोक अदालत हेतु रू0 4,50,000/– इस प्रकार **कुल धनराशि रू0 16,50,000/– (रू0 सोलह लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अल्प समयावधि अवशेष होने एवं कई जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं लोक अदालतों में संगत मानक मद से होने वाले प्रयोजनों के व्यय हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के दृष्टिगत व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के परिप्रेक्ष्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर सम्यक् परीक्षण/विचार करते हुए ऐसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं लोक अदालतों, जिनमें धनराशि की नितांत आवश्यकता हो, हेतु ही प्रथमतया धनराशि आवंटित की जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय। तथा व्यय करते समय मितव्ययता का ध्यान रखा जाय।
4. प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का पुनर्विनियोग अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।
5. अवचनबद्ध मदों में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में आवंटित

धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

6. व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियामवली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं और जिन मदों की दरें बाजार भाव से ली गई हों, के सम्बन्ध में न्यूनतम दरों के आधार पर आगणन तैयार कर कार्य कराया जाय।
8. वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 तथा प्रथम अनुपूरक आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–238662/2024, दिनांक 10 सितम्बर, 2024 एवं तत्क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–04 के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट 'क' की तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षक एवं सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्याः 238662/2024, दिनांक 10 सितम्बर, 2024 में प्रदत्त निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

5– उक्त धनराशि की स्वीकृति संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अधीन निर्गत की जा रही है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Sudhir Kumar Singh
Date: 10-02-2025 12:39:45

(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
3. समस्त न्यायाधीश, कुटम्ब न्यायालय, उत्तराखण्ड।

4. समस्त न्यायाधीश, दण्ड न्यायालय, उत्तराखण्ड।
5. न्यायाधीश, रेलवे मजिस्ट्रेट न्यायालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–'क'

पत्र संख्या– /XXXVI(2)/24/04(बजट)/2020 दिनांक फरवरी, 2025 का संलग्नक

(धनराशि रू0 में)

अनुदान सं0–04, लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–800–अन्य व्यय–05–राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	
मानक मद	स्वीकृत की जा रही धनराशि
27– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,00,000
कुल योग	**2,00,000**
अनुदान सं0–04, लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–800–अन्य व्यय–06–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	
मानक मद	स्वीकृत की जा रही धनराशि
04– यात्रा व्यय	10,00,000
कुल योग	**10,00,000**
अनुदान सं0–04, लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–800–अन्य व्यय–10–लोक अदालत	
25– उपयोगिता बिलों का भुगतान	1,50,000
27– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3,00,000
कुल योग	**4,50,000**
महायोग	**16,50,000**

(रू0 सोलह लाख पचास हजार मात्र)